2014 का विधेयक संख्यांक 52

[दि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथारिटी ऑफ इंडिया (अमेंडमेंट) बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014

भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2014 है ।

(2) यह 28 मई, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 5 का संशोधन ।

2. भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 में,-- 1997 का 24

(i) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(8) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य, ऐसी तारीख से जिसकी वे इस प्रकार पद पर नहीं रह गए हैं, दो वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय,--

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई नियोजन ; या

(ख) दूर-संचार सेवा के कारबार में किसी कंपनी में कोई नियुक्ति, स्वीकार नहीं करेंगे ।";

(ii) अंत में स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

3. (1) भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2014 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 2014 का अध्यादेश 3

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 5 की उपधारा (8) ऐसे व्यक्तियों के नियोजन पर कतिपय निर्बंधन अधिरोपित करती है जिन्होंने पद त्याग करने के पश्चात् भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा की हो । ऐसा व्यक्ति, जिसने भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा की है, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार में नियोजन के लिए अपात्र है । किन्तु बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 तथा भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अधीन, क्रमशः बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पदत्याग करने के दो वर्ष के अन्तराल के पश्चात् केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार में नियोजन के लिए पात्र हैं । प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन, पदभार त्यागने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार में नियोजन पर कोई निर्बंधन नहीं है । इसी प्रकार, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अधीन ऐसे व्यक्तियों के, जिन्होंने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में सेवा की है, नियोजन पर निर्बंधन, उन व्यक्तियों पर अधिरोपित निर्बंधनों की अपेक्षा कम परिसीमित करने वाले होते हैं जिन्होंने भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष या उसके सदस्यों के रूप में सेवा की है ।

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यकता महसूस की गई थी कि भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम में उपबंधों को वैसे ही उपबंधों के समरूप बनाया जाए जैसे कि वे आर्थिक क्षेत्रों में अन्य विनियामकों को लागू होते हैं । तदनुसार, यह प्रस्ताव किया गया था कि ऐसे व्यक्ति के अगले नियोजन पर निर्बंधन, जिसने केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार में भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण के सदस्य या सदय के रूप में सेवा की है या दूर-संचार सेवाओं के कारबार में लगी किसी कंपनी में कोई नियुक्ति, पदत्याग की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक सीमित होगा । केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन उस दशा में प्रदान किया जाता है जहां ऐसे नियोजन का प्रस्ताव दो वर्ष पूरे होने से पूर्व किया गया हो ।

3. उपरोक्त कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए, यह आवश्यकता महसूस की गई थी कि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (8) के उपबंधों में उपयुक्ततः संशोधन किया जाए । चूंकि संसद् के दोनों सदन सत्र में नहीं थे और तुरन्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी, राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया था कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थी जिनसे उक्त अधिनियम में संशोधन करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया था, अतः राष्ट्रपति ने भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2014 को 28 मई, 2014 को प्रख्यापित किया था ।

4. विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
3 जुलाई, 2014

रवि शंकर प्रसाद

उपाबंध

भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का अधिनियम संख्यांक 24) से उद्धरण

* * * * * *

5. (1) * * * * *

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि, सेवा की शर्तें आदि ।

(8) अध्यक्ष या किसी पूर्णकालिक सदस्य के इस प्रकार पद पर न रह जाने पर,--

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन के लिए पात्र नहीं होगा ; या

(ख) उस तारीख से, जिसको वह ऐसे पद पर नहीं रह जाता है, एक वर्ष की अवधि तक कोई वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार नहीं करेगा ।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को लागू नहीं होगी जो उपधारा (3) के अधीन पद पर नहीं रह गया है और ऐसा अध्यक्ष या सदस्य प्राधिकरण में पुनर्नियुक्ति या अपील अधिकरण में नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

(9) अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के पद पर हुई कोई रिक्ति, उस तारीख से, जिसको ऐसी रिक्ति होती है, तीन मास की अवधि के भीतर भरी जाएगी ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लिए, "वाणिज्यिक नियोजन" से किसी भी क्षेत्र में व्यापारिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक या वित्तीय कारबार में लगे हुए किसी व्यक्ति के अधीन किसी भी हैसियत में या उसके अभिकरण में नियोजन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कंपनी का निदेशक या फर्म का भागीदार है तथा इसके अन्तर्गत स्वतंत्र रूप से या किसी फर्म के भागीदार के रूप में या सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में व्यवसाय स्थापित करना भी है ।

* * * * * *

GMGIPMRND—874LS(CRC)—04.06.2014.